

---

एम.एम.पुंछी, के समक्ष

मंजीत सिंह ढींगरा - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य- प्रतिवादी

आपराधिक रिट याचिका संख्या 194 ऑफ 1986

28.8.1986.

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 - राज्य सरकार द्वारा पारित निरोध के आदेश के अनुपालन में अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने की मांग करने वाला व्यक्ति - ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी के डर से अनुच्छेद 226 के तहत किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देता है - उस राज्य में उच्च न्यायालय को क्या मामले में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करना चाहिए - हिरासत का आदेश पारित किया गया - क्या उक्त उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

यह माना गया कि हालांकि भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति व्यापक और असाधारण है, फिर भी यह अदालत के पास विवेकाधीन है कि वह दी गई परिस्थितियों में इसका उपयोग करे या नहीं। उच्च न्यायालय इस मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने में धीमा होगा, जिस पर एक बहन अदालत अधिक प्रभावकारिता, तत्परता और सटीकता के साथ जांच कर सकती है और राहत प्रदान कर सकती है। इसलिए, यह राज्य का उच्च न्यायालय होगा जिसने निरोध आदेश पारित किया जो प्रस्तावित हिरासत को पर्याप्त राहत प्रदान कर सकता है क्योंकि उस न्यायालय के पास इस विषय में विस्तार और पूछताछ करने के लिए आवश्यक उपकरण और सभी साधन हैं। मामले के इस विष्टिकोण में, हिरासत का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने योग्य नहीं है।

(पैरा 5 और 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 1 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

.....

1. कि यह माननीय न्यायालय मामले के रिकॉर्ड, विशेष रूप से हिरासत के आदेश और हिरासत के आधार और उससे जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों को मंगाने की कृपा करे, ताकि यह माननीय न्यायालय इसकी वैधता और औचित्य को संतुष्ट कर सके।
2. याचिकाकर्ता की हिरासत के आधार की प्रति प्रस्तुत करें;
3. याचिकाकर्ता को इस याचिका के कथनों और आधारों को जोड़ने या बदलने की अनुमति दें; प्रतिवादियों को निष्पादित न करने का निर्देश देते हुए उसके स्वरूप में एक रिट ऑफ मैंडमस, आदेश या निर्देश जारी करें रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अनुबंध पी/4 में निहित हिरासत के आक्षेपित आदेश को लागू करना;
4. आक्षेपित निरोध आदेश को रद्द करने के लिए सटिओरारी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी करना;
5. यह माननीय न्यायालय अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दे सकता है क्योंकि ये

आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

6. यह कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा तत्काल गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए, नियमों के तहत आवश्यक नोटिस की सेवा को समाप्त किया जा सकता है और इस बीच उत्तरदाताओं को उपरोक्त घटनाओं के संबंध में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी / हिरासत में रखने से रोका जा सकता है।
7. ऐसा कोई अन्य आदेश पारित करें या ऐसी राहत प्रदान करें जो यह माननीय न्यायालयइस मामले की परिधि में उचित, स्पष्ट और उचित समझे।

याचिकाकर्ता की ओर से - के. के. कुकरिया अधिवक्ता।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए: - एचएस बरार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए: - डी एस बरार, डिप्टी एडवोकेट जनरल, पंजाब।

### निर्णय

न्यायमूर्तिएम.एम. पुंछी, (मौखिक) :-

1. याचिकाकर्ता मंजीत सिंह ढींगरा ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र राज्य द्वारा पारित 15 जून, 1985 (अनुबंध पी-4) के निरोध आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी है। वह गिरफ्तारी पर रोक या लागू आदेश के संचालन की प्रकृति में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना करता है।  
2. इसी तरह की राहत का दावा याचिकाकर्ता ने 1985 की आपाराधिक रिट संख्या 978 में किया था, जिस पर 11 दिसंबर, 1985 को मेरे समक्ष सुनवाई हुई थी। मैंने याचिका को इन लिमिनी खरिज कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता तब यह स्पष्ट नहीं कर रहा था कि क्या महाराष्ट्र राज्य द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था। यह उन परिस्थितियों में है कि मैंने यह विचार लिया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने हिरासत आदेश की एक प्रति पेश नहीं की थी और यहां तक कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर हिरासत में नहीं लिया गया था, इसलिए कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ और इस प्रकार वह याचिका खारिज करने योग्य थी। अब याचिकाकर्ता ने हिरासत आदेश की एक प्रति दायर की है और इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण, उन्होंने इसे चुनौती दी है।

3. प्रस्ताव की सूचना जारी की गई। प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल किए हैं और अधिकार क्षेत्र की दलील दी है।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने एन.के. नैयर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,<sup>1</sup> में बॉम्बे हाईकोर्ट के दो एकल पीठ और दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के दो एकल पीठ निर्णयों को क्रमशः दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम गंगा सिंह और अन्य<sup>2</sup>, 1980 और डॉ एल.आर. नायडू बनाम कर्नाटक राज्य<sup>3</sup>, के फैसलों पर भरोसा किया है। ये सभी मामले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत न्यायालय की शक्ति से संबंधित हैं। एन.के. नैयर के मामले (सुप्रा) में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह विचार किया है कि इसकी शक्तियां इतनी

<sup>1</sup> 1985 (2) क्राइम्स 304.

<sup>2</sup> 1980 सी.आर.एल.जे 1175.

<sup>3</sup> 1984 सी.आर.एल.जे 757.

व्यापक हैं कि महाराष्ट्र राज्य के बाहर कथित अपराध के लिए (अपने) अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्ति को अंतरिम अग्रिम जमानत देने की शक्ति शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि वह न केवल अंतरिम जमानत दे सकता है, बल्कि इसकी पुष्टि भी कर सकता है। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत है। सीमित अग्रिम जमानत देना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत न्यायालय की शक्ति के भीतर बताया गया था। दूसरी ओर, पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय है **सैयद ज़फर-उल-हसन सैन और एक अन्य बनाम राज्य**<sup>4</sup>, में अदालत जहां धारा 438 में "उच्च न्यायालय" या "सत्र न्यायालय" दंड प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्ति है। उनको न्यायालयों के रूप में माना गया है जिनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप उत्पन्न होता है या किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी की आशंका उस विशेष अपराध के संबंध में है जिसका स्थान विशेष है, न कि सामान्य रूप से। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष क्षेत्राधिकार में अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति उस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है, जब अपराध किसी अन्य क्षेत्राधिकार में किया गया था और उसके खिलाफ आरोपअधिकार क्षेत्र में था। इन फैसलों के बल पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुकरिया का कहना है कि विचारों का टकराव है और यह मामला एक बड़ी पीठ द्वारा सुने जाने के योग्य है।

5.मुझे डर है कि जिस संघर्ष का सुझाव दिया गया है, वह हाथ में लिए गए संघर्ष के समान नहीं है। याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका में हिरासत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। **सरदार उजागर सिंह सेखवां और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में निर्णय के प्रश्न का निर्धारण करने में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे -**

"..... इसके अलावा, यह न्यायालय एक ऐसे मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने में धीमा होगा, जिस पर एक बहन न्यायालय, अधिक प्रभावकारिता, तत्परता और सटीकता के साथ, जांच कर सकता है और राहत प्रदान कर सकता है। यह टिप्पणी करते समय, इस न्यायालय ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की उपलब्धता को ध्यान में रखा है जो पेटिटी ओनर्स को शीघ्र और पर्याप्त राहत प्रदान कर सकता है। यह आगे देखा गया था:

"..... मान लें कि इस न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है (किसी भी तरह से अब ऐसा नहीं है) लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पास भी अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को उस न्यायालय में राहत की मांग करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति व्यापक और असाधारण है, फिर भी यह इस न्यायालय के पास विवेकाधीन है कि वह किसी दिए गए परिस्थितियों में इसका उपयोग करे या नहीं।

6.मेरा अभी भी वही विचार है। यह बॉम्बे हाई कोर्ट है जो याचिकाकर्ता को पर्याप्त राहत दे सकता है और याचिकाकर्ता को वहां अपना लिए राहत प्राप्त करने के लिए मना कसर दिया जाता है। उस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता को शीघ्र और पर्याप्त राहत देने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। उस न्यायालय के पास इस विषय का विस्तार करने और जांच करने और अपने आदेशों को बेहतर तरीके से पालन करने के सभी साधन हैं।

7.पूर्वगामी कारणों से, इस याचिका को इन लिमिनी में खारिज कर दिया गया है।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और**

<sup>4</sup> 1985 सी.आर.एल.जे 605.

**आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

अनमोल ककड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा